न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक :— 25 दिनांक :— 07.04.2025

: : कार्यालय आदेश : :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 ब्यावर, अजमेर की क्षेत्राधिकारिता वाले महिला पुलिस थाना ब्यावर, अजमेर से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अन्तर्गत लेखबद्व किए जाने वाले बयान, मृत्युकालिक कथन एवं इन्वेन्ट्री कार्यवाही से संबंधित कार्य निम्न सूची में वर्णित अनुसार प्रथम लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा, प्रथम लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता में द्वितीय लिंक न्यायालय एवं द्वितीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की अनुपलब्धता में तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा संपादित किए जाएंगे :—

क्रम संख्या	आरक्षी केन्द्र का नाम	क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय का नाम	प्रथम लिंक न्यायालय	द्वितीय लिंक न्यायालय	तृतीय लिंक न्यायालय
I	II	III	IV	V	VI
01	महिला पुलिस थाना ब्यावर, अजमेर	JM-02, Beawar	A.C.J.M. 01, Beawar	A.C.J.M. 03, Beawar	A.C.J.M. 02, Beawar

नोट :—

01. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में अद्योहस्ताक्षरकर्ता से आदेश प्राप्त किए जायेंगे।

02. उपरोक्त न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र से संबंधित माल एवं मुलजिम की कार्यवाही शिनाख्तगी की कार्यवाही संबंधित मुख्यालय के उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जावेगी एवं उनकी अनुपस्थिति में संबंधित मुख्यालय के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जाएगी।

03. यदि किसी प्रकरण में गवाह की उम्र—18 वर्ष से कम हो व गवाह Child Care Institutions, Ajmer में दाखिल हो, उनके बयान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक Gen/XV/45/2006/committee/655 dated 21-02-2023 की पालना में धारा 183 बी.एन.एस.एस. 2023 (धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता) के बयान लेखबद्व करवाए जाने हेतु आदेश पृथक से अद्योहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त किए जाऐंगे।

sd

{प्रकाश चन्द्र मीणा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।

क्रमांक – 1059–1065 दिनांक – 07.04.2025

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :–

01. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. पीठासीन अधिकारी, समस्त अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर मुख्यालय।
03. पुलिस अधीक्षक, ब्यावर।
04. उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर।
05. थानाधिकारी, महिला थाना ब्यावर।
06. जिला कलक्टर, ब्यावर को प्रेषित कर लेख है कि आपके जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में सूचित करावें।
07. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की **Website** पर **uplodad** करें।
08. कार्यालय प्रति।

07.04.2025

{प्रकाश चन्द्र मीणा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर।